मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 141 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 171 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(विद्युत कंपनियों के लाभ-हानि के विवरण सम्बन्धी श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.)

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा ग्रेसिम उद्योग मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण न किये जाने,
(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ में भैंस की करंट लगने पर मृत्यु उपरांत मुआवजा राशि न मिलने,
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में समूह जल प्रदाय योजना संबंधी,
(4) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम जोन्ही में पेयजल संकट होने,
(5) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की ब्यौहारी नगर परिषद द्वारा पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिलने,
(6) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी क्षेत्र के ग्राम दिघोरी से समुद्र राजा मार्ग पर पुल निर्माण किये जाने,
(7) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र के भीमगढ़ छपारा पुल क्षतिग्रस्त होने,
(8) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की भोपाल के सिंधु भवन के पास स्थित झुग्गी वासियों का व्यवस्थापन न किये जाने,
(9) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की भोपाल के नेहरू नगर स्थित हिलटाप गृह निर्माण समिति के सदस्यों को भूखण्ड न दिये जाने तथा
(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के अंतर्गत बनाई गई सड़क देवराकलां से देवसरी इन्दौर में अधिकारी/ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

शासकीय कार्यक्रमों में विधायकों को आमंत्रण दिया जाना और उनका नाम पट्टिका में लिखा जाना

श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र में भूमिपूजन के शासकीय कार्यक्रम में उनको आमंत्रित न करने का उल्लेख करते हुए विरोधस्वरूप गर्भगृह में प्रवेश किया गया. व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.03 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.16 बजे पुन: समवेत हुई.

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने आसंदी के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षित किया कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट आदेशों के पालन में विधायकों के क्षेत्रों में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित किया जाये और उनका नाम पट्टिका पर लिखा जाये. मेरे सामान्य प्रशासन मंत्री के कार्यकाल में कई सदस्यों ने मुझे लिखा था और मैंने तब कड़ाई से नोटिस जारी करके जवाब तलब भी किया था और मुख्य सचिव को भी आदेश दिया था कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो. प्रजातंत्र में माननीय विधायकों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बाद में जब हमारी सरकार नहीं रहने के कारण पूरी कार्यवाही नहीं हो पाई. अब आपकी सरकार है इसलिए जो आदेश दिये थे, उन पर कड़ाई से पालन हो और जिससे त्रुटि हो, उसको दंडित किया जाये. सुश्री कलावती भूरिया, श्री तरबर सिंह और श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्यगण के क्षेत्रों में ऐसी त्रुटियाँ की गई हैं.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि यह इस सदन के सम्मान की बात है. मेरे और वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकालों में भी यही निर्देश थे. स्थानीय प्रशासन की चूक की वजह से यदि ऐसा हुआ है तो उन पर कार्रवाई की जाये. अंत में अध्यक्ष महोदय इस सदन के रक्षक हैं, अत: इस सदन के सदस्यों के मामले को गंभीरता से लिया जाये जिससे परम्परागत रूप से ये आदेश कायम रहें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ एवं आदरणीय डॉ. गोविन्द सिंह ने बहुत अच्छा विषय उठाया है और पूर्व से ही माननीय शिवराज सिंह सरकार के भी आदेश थे. यदि कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो उसको दिखवा लेंगे. जब कांग्रेस कार्यकाल आया तब भी सर्वश्री रामपाल सिंह, जालम सिंह पटेल, यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायकों को कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया था.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ 22-43/2019/आठ, दिनांक 17 जुलाई, 2019,

(ख) क्रमांक एफ 22-124/2019/आठ, दिनांक 2 अगस्त,2019,

(ग) क्रमांक एफ 22-10/2017/आठ, दिनांक 9 सितम्बर,2019,

(घ) क्रमांक एफ 22-18/2018/आठ, दिनांक 5 नवम्बर,2019,

(ङ) क्रमांक एफ 22-167/2019/आठ, दिनांक 5 नवम्बर,2019,

(च) क्रमांक एफ 22-254/2019/आठ, दिनांक 6 दिसम्बर,2019,

(छ) क्रमांक एफ 22-02/2019/आठ, दिनांक 23 दिसम्बर,2019, एवं

(ज) क्रमांक एफ 22-124/2019/आठ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020,

पटल पर रखीं.

5. ध्यानाकर्षण

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 6 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) श्री लाखन सिंह यादव, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने ग्वालियर के हिम्मतगढ़ फीडर एवं आरौन पाटई माइक्रो लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य ने भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 53 एवं 55 में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पी.सी. शर्मा, संजय शर्मा, विनय सक्सेना, कुणाल चौधरी, हर्ष यादव, सुनीता पटेल, सदस्यगण ने नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(4) श्री कमलेश जाटव, कुँवर विक्रम सिंह, सर्वश्री पी.सी. शर्मा, बैजनाथ कुशवाह, जयवर्द्धन सिंह एवं आरिफ मसूद, सदस्यगण ने, राजधानी भोपाल में अधिकारियों की मिलीभगत से अमानक शराब का कारोबार होने पर भी कार्यवाही न किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(5) श्री जजपाल सिंह जज्जी, सदस्य ने अशोकनगर क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत उपकेन्द्र स्थापित न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(6) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य ने विदिशा जिले की टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा दिये जाने में भेदभाव होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवीलाल धाकड़, सदस्य, मंदसौर

(2) श्री राम दांगोरे, सदस्य, खण्डवा

(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़

(5) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर

(6) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना शहर

(7) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन

(8) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना

(9) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़

(10) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर

(11) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी

(12) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर

(13) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य, बालाघाट

(14) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य, विदिशा

(15) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़

(16) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा

(17) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़

(18) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर

(19) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर

(20) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच

(21) श्री जालम सिंह पटैल, सदस्य, नरसिंहपुर

(22) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम

(23) श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य, अलीराजपुर

(24) श्री सुनील उईके, सदस्य, छिन्दवाड़ा

(25) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर

(26) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा

(27) श्री विशाल जगदीश पटेल, सदस्य, इन्दौर शहर

(28) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह

(29) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना

(30) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद

(31) श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य, राजगढ़

(32) श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, छतरपुर

(33) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा

(34) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य, मुरैना

(35) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर

(36) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन

(37) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर

(38) श्रीमती सुनीता पटैल, सदस्य, नरसिंहपुर

(39) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी

(40) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा

(41) श्री सुनील सराफ, सदस्य, अनूपपुर

(42) श्रीमती लीना संजय जैन, सदस्य, विदिशा

(43) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह

(44) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर शहर

(45) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन

(46) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन

(47) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा

(48) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी

(49) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार

(50) श्री संजीव सिंह, सदस्य, भिण्ड शहर

(51) श्री बापूसिंह तंवर, सदस्य, राजगढ़

(52) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम
(53) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, सतना
(54) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर
(55) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी', सदस्य, अशोकनगर
(56) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल
(57) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, अनूपपुर
(58) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य, नीमच
(59) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना
(60) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद
(61) डॉ. योगेश पंडाग्रे, सदस्य, बैतूल
(62) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य, शाजापुर
(63) श्री शिवनारायण सिंह, सदस्य, उमरिया
(64) श्री दिनेश राय, सदस्य, सिवनी
(65) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य, राजगढ़
(66) श्री अजब सिंह कुशवाह, सदस्य, रीवा
(67) श्री आरिफ मसूद, सदस्य, भोपाल शहर
(68) श्री राकेश मावई, सदस्य, मुरैना
(69) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर
(70) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य, देवास
(71) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी, सदस्य, खरगोन
(72) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य, भोपाल शहर
(73) श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य, शहडोल
(74) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, धार
(75) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन
(76) श्री विजयपाल सिंह , सदस्य, होशंगाबाद
(77) श्री बाबू जन्डेल, सदस्य, रीवा

सभापति महोदय(श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) पीठासीन हुए.

8. वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री की मांगों पर दिनांक 15 मार्च, 2021 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

श्री जजपाल सिंह जज्जी (भाषण पूर्ण)

(15) श्री महेश परमार
(16) श्री उमाकांत शर्मा
(17) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(18) श्री पहाड़ सिंह जी कन्नोजे
(19) श्री मुरली मोरवाल
(20) श्री दिलीप सिंह परिहार
(21) डॉ.हिरालाल अलावा
(22) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(23) कुंवर विक्रम सिंह (राजनगर)
(24) श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा)
(25) श्री आलोक चतुर्वेदी
(26) श्री बहादुर सिंह चौहान

(27) श्री घनश्याम सिंह
(28) श्री अनिरुद्ध माधव मारू
(29) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को
(30) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(31) श्री बैजनाथ कुशवाह
(32) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल
(33) श्री शंशाक श्रीकृष्ण भार्गव
(34) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(35) श्री नीरज विनोद दीक्षित
(36) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
(37) श्री संजय यादव
(38) श्री प्रदीप लारिया
(39) श्री मनोज चावला
(40) श्री नारायण सिंह पट्टा
(41) श्री कुँवरजी कोठार
(42) श्री रामलाल मालवीय
(43) श्री विजयपाल सिंह
(44) श्री पी.सी. शर्मा
(45) श्री तरुण भनोत

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पाठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

9. अध्यक्षीय घोषणा

अनुपूरक कार्यसूची के अनुसार शासकीय विधि विषयक कार्य पूर्ण किये जाने की अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि –

"कल प्रश्नकाल में सूचित किया गया था कि अभी अनेक विभागीय मांगों पर कार्यवाही पूर्ण होना शेष है. इसलिए दोनों पक्षों के माननीय सचेतकगण सीमित संख्या में विभागीय मांगों पर चर्चा में बोलने वाले सदस्यों के नाम दें, परन्तु दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या अधिक होने से अभी केवल 4 मंत्रियों की विभागीय मांगों पर ही चर्चा पूर्ण हो सकी है. साथ ही, हाल ही में कोरोना का निरन्तर प्रकोप भी बढ़ रहा है एवं 5 माननीय सदस्य एवं विधान सभा कर्मचारी भी इससे प्रभावित हुए हैं. मेरे द्वारा इस समस्त स्थिति तथा माननीय सदस्यों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कमलनाथ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री जी एवं डॉ. गोविन्द सिंह जी, मुख्य सचेतक कांग्रेस दल के साथ समीक्षा की गई. समीक्षा उपरान्त यह तय हुआ कि आज कार्यसूची में नियत समस्त कार्यवाही के साथ अनुपूरक कार्यसूची के विधि विषेयक् कार्य पूरे किये जायें, परन्तु तदुपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी. अत: सहमति अनुसार अनुदान की मांगों और अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी".

10. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:) (गिलोटिन)

इसी तारतम्य में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि –

"अनुदानों की मांगों पर दिनांक 08 मार्च, 2021 से चर्चा प्रारंभ हुई, पिछले दिनों में भोजनावकाश स्थगित करने और शाम 5.30 बजे के उपरांत समय वृद्धि के बाद भी 4 मंत्रियों के विभागों की मांगों पर ही चर्चा हो सकी है. अभी अनेक विभागों के मंत्रियों की अनुदान मांगे होना शेष है. साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण में पुन: वृद्धि से कतिपय माननीय सदस्य भी प्रभावित हुए हैं. ऐसी स्थिति में शेष सभी विभागों की मांगों पर तत्परता से समय-सीमा में चर्चा पूर्ण होना संभव नहीं है, परन्तु आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के साथ-कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय विस्तार से जनहित के विषयों पर चर्चा कर चुके हैं".

अत: वर्णित स्थिति में वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की शेष मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा. तद्नुसार –

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

अनुदान संख्या	-	3		पुलिस के लिए आठ हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़, नौ लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	4		गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए छप्पन करोड़, एक लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	5		जेल के लिए पांच सौ अट्ठाईस करोड़, चौवन लाख, पांच हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	6		वित्त के लिए बीस हजार एक सौ एक करोड़, बासठ लाख, अट्ठाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	7		वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार दस करोड़, तीस लाख, इक्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	8		भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए दो हजार दो सौ चौदह करोड़, आठ लाख, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	9		नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए उनतालीस करोड़, छियासठ लाख, अठहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	10		वन के लिए दो हजार नौ सौ छह करोड़, पचासी लाख, अड़तालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	11		औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए एक हजार आठ सौ छियालीस करोड़, संतानवे लाख, सतहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	12		ऊर्जा के लिए बारह हजार एक सौ चौदह करोड़, अड़तालीस लाख, चौरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	14		पशुपालन एवं डेयरी के लिए एक हजार छियासठ करोड़, तेरह लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	15		विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिए चौंतीस करोड़, इक्यावन लाख, सैंतालीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या	-	17		सहकारिता के लिए एक हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़, इक्यासी लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	18		श्रम के लिए नौ सौ इक्कीस करोड़, बावन लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	19		लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आठ हजार पैंतालीस करोड़, पैंतीस लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	21		लोक सेवा प्रबंधन के लिए छप्पन करोड़, छब्बीस लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	22		नगरीय विकास एवं आवास के लिए बारह हजार एक सौ आठ करोड़, नवासी लाख, छत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या	-	25		खनिज साधन के लिए सड़सठ करोड़, चौहत्तर लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	26		संस्कृति के लिए तीन सौ बारह करोड़, इकहत्तर लाख, बहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	27		स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए बीस हजार तीन सौ बीस करोड़, छियानवे लाख, चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	28		राज्य विधान-मण्डल के लिए सौ करोड़, तेईस लाख, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	29		विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार आठ सौ नब्बे करोड़, उन्यासी लाख, सड़सठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	30		ग्रामीण विकास के लिए ग्यारह हजार छह सौ इक्यावन करोड़, पांच लाख, सात हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	31		योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए एक सौ बयालीस करोड़, तिरानवे लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	33		जनजातीय कार्य के लिए नौ हजार सात सौ छियानवे करोड़, अड़सठ लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	34		सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए तीन हजार सात सौ पच्चीस करोड़, छब्बीस लाख, छियासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	35		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए पांच सौ उनसठ करोड़, छह लाख, चौहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	36		परिवहन के लिए एक सौ सोलह करोड़, छियासी लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	37		पर्यटन के लिए दो सौ पांच करोड़, इकतालीस लाख, छियासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	38		आयुष के लिए पांच सौ तैतालीस करोड़, सड़सठ लाख, बारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	39		खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार एक सौ पंद्रह करोड़, चौदह लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	40		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए पांच हजार छह सौ इक्तीस करोड़, संतावन लाख, बावन हजार रुपये,

अनुदान संख्या	-	42		भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ तीस करोड़, तिहत्तर लाख, निन्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	43		खेल और युवा कल्याण के लिए दो सौ सत्ताइस करोड़, सात लाख रुपये,
अनुदान संख्या	-	44		उच्च शिक्षा के लिए तीन हजार चार सौ सड़सठ करोड़, अड़सठ लाख, सैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	46		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दो सौ चालीस करोड़, तैंतालीस लाख, तेईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	47		तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए एक हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़, संतानवे लाख, सोलह हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	49		अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक हजार चार सौ संतानवे करोड़, बासठ लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	50		उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए छह सौ अठानवे करोड़, पैंसठ लाख, अड़तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	51		अध्यात्म के लिए एक सौ तेईस करोड़, उनतीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	52		चिकित्सा शिक्षा के लिए दो हजार छह सौ इकसठ करोड़, अस्सी लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	57		पर्यावरण के लिए इक्कीस करोड़, पच्चीस लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	58		प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए चार हजार नौ सौ पैसठ करोड़, अड़तीस लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	59		ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए छह सौ दो करोड़ रुपये,
अनुदान संख्या	-	60		जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए चार सौ संतानवे करोड़, पचहत्तर लाख रुपये,
अनुदान संख्या	-	61		बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए एक सौ चवालीस करोड़, चालीस लाख, नौ हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	62		पंचायत के लिए चार हजार सात सौ सड़सठ करोड़, एक लाख, उन्यासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	63		अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चौरानवे करोड़, छियानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	-	64		पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सात सौ उनसठ करोड़, अट्ठानवे लाख, पंद्रह हजार रुपये तथा
				तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 18 सन् 2021) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2021 (क्रमांक 18 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा (क्रमश:)

अनुपूरक कार्यसूची के अनुसार शासकीय विधि विषयक कार्य लिये जाने की घोषणा के बाद विपक्ष द्वारा बहिष्कार किया जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित शासकीय विधेयक लिये जाएंगे. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा इसके विरोधस्वरूप सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 6 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि – "अनुपूरक कार्यसूची के उप पद 8 एवं 12 में सम्मिलित विधेयकों के भारसाधक मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया स्वास्थ्यगत कारणों से आज उपस्थित नहीं हैं, उनसे संबंधित दोनों विधेयकों को अग्रेतर प्रक्रमों में सदन में प्रस्तुत करने हेतु मैंने संसदीय कार्यमंत्री को अधिकृत किया है".

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(8) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री की अनुपस्थिति में, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामखेलावन पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(12) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री की अनुपस्थिति में, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के लिये निर्धारित समस्त शासकीय वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12(ख) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय."

माननीय अध्यक्ष जी आज दूसरी परिस्थिति भी जो आपके ध्यान में है आज सुबह बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और आपकी चर्चा में आया था भोपाल सहित कई जगह पर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. कोरोना का जिस तरह से बैक अप हो रहा है. सम्मानित सदस्य डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ से लेकर आधा दर्जन विधायक, लगभग आधा दर्जन अधिकारी और कर्मचारी भी इससे प्रभावित हैं. भोपाल में कर्फ्यू हो और सत्र चल रहा हो यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति बनेगी कि सत्र भोपाल में ही चल रहा है और भोपाल में ही रात्रिकालीन कर्फ्यू है. ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम लोगों से ही बाकी लोगों को संदेश जाता है, तो संदेश न जाने के लिए भी और कार्य पूर्ण होने के कारण भी दोनों स्थितियों में मेरा अनुरोध है कि सदन का सत्रावसान किया जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

17. सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2021.